18. तथापि, राज्य द्वारा इस मामले में अंतिम विनिश्चय किए जाने तक वसूली कार्यवाहियां स्थागित रहेंगी ।

19. यह अपील ऊपर उल्लिखित मताभिव्यक्तियों और निदेशों सहित मंजूर की जाती है । मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.

[2007] 3 उम. नि. प. 252

हरीशचन्द्र प्रसाद मणि और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य और एक अन्य

31 जनवरी, 2007

न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 – अपराध का संज्ञान – किसी दांडिक मामले में तब तक संज्ञान नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम ऐसी कोई सामग्री विद्यमान न हो जिससे अभियुक्त की दोषिता उपदर्शित होती हो और मात्र संदेह के आधार पर संज्ञान करने संबंधी आदेश अभिखंडित किया जा सकता है ।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी सं. 2 ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हजारीबाग के समक्ष एक दांडिक परिवाद फाइल किया जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन यह निदेश देते हुए पुलिस को भेज दिया कि वह मामला रजिस्टर करे और उसका अन्वेषण करे । तद्नुसार, पुलिस ने अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संस्थित की । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में संक्षेप में यह अभिकथन किया गया कि इत्तिलाकर्ता के पुत्र का विवाह अभियोक्त्री (इस मामले में अपीलार्थी सं. 2) के साथ हुआ था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्त के साथ अवैध उसके संबंध स्थापित हो गए । इत्तिलाकर्ता की बहु, अभियोक्त्री अनावश्यक रूप से धन खर्च करने की आदी थी और फजूलखर्ची के लिए

अपने पति पर असम्यक् दबाव डाला करती थी । इत्तिलाकर्ता का पुत्र अत्यधिक विनीत स्वभाव का था और वह अपनी पत्नी के इस कृत्य के विरुद्ध आपत्ति नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी पत्नी क्रोध में आकर तमाशा बना देती थी और यदा-कदा अपने पति की बेइज्जती भी किया करती थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इसके अलावा यह भी अभिकथन किया गया कि इत्तिलाकर्ता के पुत्र ने अपनी पत्नी और उसके उपपति को रंगे-हाथ अनापत्तिजनक स्थिति में भी पकड़ा और यह अभिकथन किया गया है कि उसके पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों ने षड्यंत्र रचकर रामगढ़ में उसके पुत्र की हत्या कर दी और झूठे मृत्यु-प्रमाणपत्र के साथ उसके शव को बिहारशरीफ ले आए और उसके बाद पटना में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया । इत्तिलाकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अभिकथन किया कि उसे बाद में यह पता चला कि उसके पुत्र की मृत्यु वास्तव में बीमारी या रोग के कारण नहीं हुई थी बल्कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या की गई थी और तब इत्तिलाकर्ता ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस के समक्ष मामला दर्ज कराया । अन्वेषण के पश्चात्, पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया और विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन कोई दांडिक पुनरीक्षण या याचिका फाइल नहीं की गई थी । इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में एक आवेदन फाइल किया गया था जिस पर विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी और उसके साक्षियों का कथन अभिलिखित किया और उसके पश्चात् अपराध का संज्ञान करते हुए और अभियुक्त-अपीलार्थियों को समन जारी करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया । विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान करने वाले उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका फाइल की गई जो कि आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई और इसलिए यह अपील फाइल की गई है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मृतक की बाबत तारीख 12 अक्तूबर, 2001 का मृत्यु प्रमाणपत्र हजारीबाग के बृन्दावन अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जिसमें यह कथन किया गया है कि मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण हुई है । चिकित्सा साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि मृतक के शव में किसी प्रकार का विष पाया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक ने

अस्पताल में तब उल्टी की जब उसे भर्ती किया गया था किन्तु पुलिस ने रासायनिक विश्लेषण के लिए किसी प्रयोगशाला को भेजने हेतु उल्टी का कोई भी नमूना नहीं लिया जहां यह साबित किया जा सकता था कि क्या उसे कोई विष दिया गया था । यह प्रतीत होता है कि केवल अनुमान और अटकलबाजी के आधार पर संज्ञान किया गया है । इस न्यायालय के अनेक विनिश्चयों द्वारा यह सुस्थापित है कि संज्ञान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम ऐसी कोई सामग्री न हो जिससे अभियुक्त की दोषिता उपदर्शित होती है । (पैरा 10, 12 और 13)

प्रस्तुत मामले में, इस संबंध में लेशमात्र भी कोई सामग्री नहीं है जिससे अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता उपदर्शित होती हो । यह सही है कि संज्ञान करने के प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य की पर्याप्तता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा किन्तु कम से कम अभियुक्त को आलिप्त करने वाली कुछ सामग्री अवश्य होनी चाहिए और मात्र संदेह के आधार पर संज्ञान नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्रस्तुत मामले में किया गया प्रतीत होता है । इसके प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाने का परिणाम केवल लोगों को तंग करना होगा । निस्संदेह, परिवाद में यह अभिकथित किया गया है कि मृतक की पत्नी का अभियुक्त सं. 2 के साथ अवैध संबंध था किन्तु यह भी केवल संदेह है और यह दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता । इसी प्रकार, यह तथ्य कि मृतक के ससुराल वाले उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, उनकी दोषिता दर्शाने वाला साक्ष्य नहीं है । (पैरा 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2005]	(2005) 1 एस. सी. सी. 122 : **झंडु फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड** बनाम **मोहम्मद सराफुल हक** ;	13
[2002]	(2002) 3 एस. सी. सी. 89 : **कर्नाटक राज्य** बनाम **एम. देवेन्द्रप्पा** ;	13
[1992]	(1992) सप्ली. 1 एस. सी. सी. 335 : **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल** ;	13
[1992]	(1992) 4 एस. सी. सी. 305 : **जनता दल** बनाम **एच. एस. चौधरी** ;	13

[1964]	[1964] 2 एस. सी. आर. 336 : **रघुबीर सरण (डा.)** बनाम **बिहार राज्य ;**	13
[1960]	[1960] 3 एस. सी. आर. 388 : **आर. पी. कपूर** बनाम **पंजाब राज्य ।**	13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 124.

2005 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 234 में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के तारीख 6/5 मई, 2006 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री पी. एस. मिश्रा, उपेन्द्र मिश्रा, तथागत एच. वर्धन, ध्रुव कुमार झा, रवि सी. प्रकाश, (सुश्री) हेमा शर्मा और बिजन कुमार घोष

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री समदर्शी संजय, राकेश गौनी और वेंकटेश्वर राव अनुमोलू

झारखंड राज्य की ओर से सर्वश्री बी. बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने दिया ।

न्या. काटजू – इजाजत दी जाती है ।

2. यह अपील 2005 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 234 में पारित झारखंड उच्च न्यायालय के तारीख 6/5 मई, 2006 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

3. पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेलों को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि सुरेश चन्द्र सिन्हा नामक एक व्यक्ति ने, जो कि इस अपील में प्रत्यर्थी सं. 2 है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हजारीबाग के समक्ष एक दांडिक परिवाद फाइल किया जो कि 2001 का परिवाद मामला सं. 946 है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन यह निदेश देते हुए पुलिस को भेज दिया गया कि वह मामला रजिस्टर करे और उसका अन्वेषण करे । तद्नुसार, पुलिस ने अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संस्थित की जो कि भारतीय

दंड संहिता की धारा 302, 201, 328 और 120ख के अधीन 2001 का रामगढ़ पुलिस थाना मामला सं. 311 है ।

5. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में संक्षेप में यह अभिकथन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता के पुत्र रजनीश कुमार का विवाह अभियोक्त्री मोनिका मणि (इस मामले में अपीलार्थी सं. 2) के साथ हुआ था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्त, अर्थात् प्रभात कुमार श्रीवास्तव के साथ अवैध उसके संबंध स्थापित हो गए । इत्तिलाकर्ता की बहू, अभियोक्त्री मोनिका अनावश्यक रूप से धन खर्च करने की आदी थी और फजूलखर्ची के लिए अपने पति पर असम्यक् दबाव डाला करती थी । इत्तिलाकर्ता का पुत्र अत्यधिक विनीत स्वभाव का था और वह अपनी पत्नी के इस कृत्य के विरुद्ध आपत्ति नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी पत्नी क्रोध में आकर तमाशा बना देती थी और यदा-कदा अपने पति की बेइज्जती भी किया करती थी ।

6. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इसके अलावा यह भी अभिकथन किया गया कि इत्तिलाकर्ता के पुत्र ने अपनी पत्नी और उसके उपपति को रंगे-हाथ अनापत्तिजनक स्थिति में भी पकड़ा और यह अभिकथन किया गया है कि उसके पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों ने षड्यंत्र रचकर रामगढ़ में उसके पुत्र की हत्या कर दी और झूठे मृत्यु-प्रमाणपत्र के साथ उसके शव को बिहारशरीफ ले आए और उसके बाद पटना में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया । इत्तिलाकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अभिकथन किया कि उसे बाद में यह पता चला कि उसके पुत्र की मृत्यु वास्तव में बीमारी या रोग के कारण नहीं हुई थी बल्कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या की गई थी और तब इत्तिलाकर्ता ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस के समक्ष मामला दर्ज कराया ।

7. अन्वेषण के पश्चात्, पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 20 दिसम्बर, 2002 को स्वीकार कर लिया गया और विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन कोई दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल नहीं की गई थी । इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में तारीख 14 मई, 2003 को एक आवेदन फाइल किया गया था जिस पर विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी और उसके साक्षियों का कथन अभिलिखित किया और उसके पश्चात् अपराध का संज्ञान करते हुए और अभियुक्त-अपीलार्थियों को समन जारी करते हुए तारीख 12

अप्रैल, 2005 को आक्षेपित आदेश पारित किया ।

8. विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान करने वाले उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका फाइल की गई जो कि आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई और इसलिए यह अपील फाइल की गई है ।

9. हमने अपने समक्ष रखे गए संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है और हम यह पाते हैं कि अपीलार्थियों के विरुद्ध लेशमात्र भी कोई साक्ष्य या अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है । यह सही है कि इस प्रक्रम पर यह आवश्यक नहीं है परिवादी और अभियोजन-पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला साबित करना चाहिए किन्तु कम से कम ऐसी कुछ सामग्री अवश्य होनी चाहिए जिसके आधार पर संज्ञान किया जाए और समन जारी किया जाए । मात्र संदेह के आधार पर संज्ञान नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में किया गया है ।

10. मृतक रजनीश कुमार की बाबत तारीख 12 अक्तूबर, 2001 का मृत्यु-प्रमाणपत्र हजारीबाग के बृन्दावन अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जिसमें यह कथन किया गया है कि मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण हुई है ।

11. परिवादी के विद्वान् काउन्सेल ने यह निवेदन किया कि मृतक को इससे पूर्व हृदय की कोई बीमारी नहीं थी । यह सुज्ञात है कि ऐसे व्यक्तियों को भी, जिन्हें पहले से हृदय की कोई बीमारी नहीं है, दिल का दौरा पड़ सकता है और उनकी मृत्यु हो सकती है । इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने पटना के हृदय-रोग विशेषज्ञ की चिकित्सा रिपोर्टें दिखाई हैं जिनसे यह दर्शित होता है कि मृतक रजनीश कुमार काफी लंबे समय से गंभीर उच्च रक्तचाप का रोगी था । अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि रजनीश कुमार को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप उसे दिल का दौरा पड़ सकता था । यह सुज्ञात है कि रक्तचाप, मधुमेह रोग एक निष्क्रिय हत्यारा है ।

12. परिवादी ने यह अभिकथन किया है कि रजनीश कुमार को विष देकर मारा गया है किन्तु इस संबंध में लेशमात्र भी कोई सामग्री नहीं है कि रजनीश कुमार को कोई विष दिया गया हो । चिकित्सा साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि रजनीश कुमार के शव में किसी प्रकार का विष पाया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि रजनीश

कुमार ने अस्पताल में तब उल्टी की जब उसे भर्ती किया गया था किन्तु पुलिस ने रासायनिक विश्लेषण के लिए किसी प्रयोगशाला को भेजने हेतु उल्टी का कोई भी नमूना नहीं लिया जहां यह साबित किया जा सकता था कि क्या उसे कोई विष दिया गया था । हमें यह प्रतीत होता है कि केवल अनुमान और अटकलबाजी के आधार पर संज्ञान किया गया है ।

13. इस न्यायालय के अनेक विनिश्चयों द्वारा यह सुस्थापित है कि संज्ञान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम ऐसी कोई सामग्री न हो जिससे अभियुक्त की दोषिता उपदर्शित होती है । **आर. पी. कपूर** बनाम **पंजाब राज्य**[1], **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल**[2], **जनता दल** बनाम **एच. एस. चौधरी**[3], **रघुबीर सरण (डा.)** बनाम **बिहार राज्य**[4], **कर्नाटक राज्य** बनाम **एम. देवेन्द्रप्पा**[5] और **झंडु फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड** बनाम **मोहम्मद सराफुल हक**[6] वाले मामले देखिए ।

14. प्रस्तुत मामले में, इस संबंध में लेशमात्र भी कोई सामग्री नहीं है जिससे अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता उपदर्शित होती हो । यह सही है कि संज्ञान करने के प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य की पर्याप्तता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा किन्तु कम से कम अभियुक्त को आलिप्त करने वाली कुछ सामग्री अवश्य होनी चाहिए और मात्र संदेह के आधार पर संज्ञान नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्रस्तुत मामले में किया गया प्रतीत होता है । इसके प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाने का परिणाम केवल लोगों को तंग करना होगा ।

15. निस्संदेह, परिवाद में यह अभिकथित किया गया है कि मृतक की पत्नी का अभियुक्त सं. 2 के साथ अवैध संबंध था किन्तु यह भी केवल संदेह है और यह दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता । इसी प्रकार, यह तथ्य कि मृतक के ससुराल वाले उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, उनकी दोषिता दर्शाने वाला साक्ष्य नहीं है ।

16. हमारी राय में, चूंकि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर

---

[1] [1960] 3 एस. सी. आर. 388.

[2] (1992) सप्ली. 1 एस. सी. सी. 335.

[3] (1992) 4 एस. सी. सी. 305.

[4] [1964] 2 एस. सी. आर. 336.

[5] (2002) 3 एस. सी. सी. 89.

[6] (2005) 1 एस. सी. सी. 122.

संज्ञान किया गया था इसलिए हम अपराध का संज्ञान करने वाले तारीख 12 अप्रैल, 2005 के आदेश को अभिखंडित करते हैं । परिणामतः, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.

नवीनतम प्रकाशन

विधिशास्त्र

लेखक : डा. शिवदत्त शर्मा

विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रस्तुत पुस्तक "विधिशास्त्र" कुमाऊं विश्वविद्यालय के विधि संकाय में उपाचार्य डा. शिवदत्त शर्मा द्वारा लिखी गई है । इस पुस्तक में लेखक ने पाठ्य सामग्री को सूत्रबद्ध तरीके से पिरोया है तथा सभी लब्ध प्रतिष्ठ विधिशास्त्रियों की कृतियों से प्रेरणा लेकर तथा भारतीय दृष्टिकोण से समतुलनात्मक विश्लेषण करके इसे लिखा है और साथ ही कुछ नए विषयों अर्थात् विधिशास्त्र की चुनौतियां तथा भविष्य में कंप्यूटर का विधि के क्षेत्र में उपयोग आदि को सम्मिलित किया है । लेखक ने विषय के विभिन्न पहलुओं को दृष्टांतों और उदाहरणों तथा निर्णीत मामलों की सहायता से भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है ।

यह पुस्तक विधि के विद्यार्थियों, न्यायविदों, विधि के प्राध्यापकों सहित जनसाधारण के लिए भी अत्यंत उपयोगी है ।

कुल पृष्ठ : 535 **कीमत : 580/- रुपए**

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,, भगवानदास मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 16288/68

नवीनतम प्रकाशन

मानव अधिकार

लेखक : **डा. शिवदत्त शर्मा**

मानव अधिकार विषय आज सामाजिक चेतना का प्रतीक बन गया है। आम नागरिक अपने मानवाधिकारों के प्रति सजग हो इसलिए यह आज अंतरराष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में मानव अधिकारों की प्रकृति, विकास, महत्व और संकल्पना का ब्यौरेवार विवेचन किया गया है। मूल रूप से हिन्दी में लेखन के कारण यह पुस्तक पाठक को भाषा की दृष्टि से सहज, सुबोध और प्रवाहमयी प्रतीत होगी।

'मानव अधिकार' विषय अब एलएल.बी. के पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। प्रस्तुत कृति इसी दिशा में एक प्रयास है।

लेखक डा. शिव दत्त शर्मा, विधि संकायाध्यक्ष, कुमाऊं विश्वविद्यालय, ने 'मानव अधिकार' नामक इस पुस्तक में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार का तुलनात्मक विश्लेषण किया है तथा भारत के संविधान के साथ-साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों, संधियों आदि का विवेचन प्रवाहपूर्ण भाषा में किया है। लेखक का यह योगदान और प्रयास विधि-क्षेत्र में सराहनीय है। विधि विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं, न्यायविदों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है।

कुल पृष्ठ : 365 **मूल्य : 120/- रुपए**

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवानदास मार्ग,

नई दिल्ली - 110 001